अति आवश्यक/समयबद्ध

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाषः 05966–222792, 220260 फैक्सः 05966–222074

पत्रांकः– 27 /फसल बीमा/2020–21 दिनांकःचौबटिया 18, अप्रैल, 2020

सेवा में,

1. सी.एम.डी. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी इण्डिया लि0, प्लेट बी और सी. 5 फ्लोर, ब्लॉक–1, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 फैक्स न.– 011–24600444 (email: ro.dehradun@aicofindia.com)
2. एम.डी., आई.सी.आई.सी.आई., लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 आई.सी.आई.सी. आई. लोम्बार्ड, हाउस, 414, वीर सावरकर मार्ग, नीयर सिद्धीविनायक टेम्पल प्रभादेवी, मुम्बई 400025। फैक्स न0–022–39839813 (email: sandeep.khurana@icicilombard.com, neeraj.malik@icicilombard.com, sumit.g@icicilombard.com)
3. एम.डी. इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, इफको टावर II, 5TH फ्लोर, प्लॉट नम्बर–3, सेक्टर–29, गुडगांव–122001।फैक्स न0–0124–2577923(email: debanjana.bhowmick@iffcotokio.co.in, raju.jat@iffcotokio.co.in)
4. एम.डी., एच0डी0एफ0सी0 इरगो इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 6जी जी फ्लोर, लीला बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुरला रोड, अन्धेरी(ई), मुम्बई–400059। फैक्स न0–022–66383699 (email: ankur.shukla91@yahoo.com, nivedita.mandal@hdfcergo.com)
5. एम.डी. चौलामण्डलम एम एस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, डेरा हाउस, 2nd फ्लोर, न0–2 एन.एस.सी.बोस रोड, चेन्नई 600001। फैक्स न0– 044–30445550 (email: lalitkumartiwari@cholamsispl.com, abhijitnandode@cholams.murugappa.com)
6. नेशनल हैड–रूरल बिजनेस, टाटा ए0 आई0 जी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, ए–501, 5th फ्लोर, बिल्डिंग न0–4 इनफिनिटी पार्क, दिनदोशी, मलाड(ई) मुम्बई–400097। (email: geetika.kaushal@tataaig.com)
7. एम.डी., सी.ई.ओ., फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड इण्डियाबुल्स फाइनेंस सेन्टर टावर–3 6th फ्लोर सेनापती बापत मार्ग, एलफिन्नस्टोन (w) मुबंई 400013। (email: ravi.ashok@futuregenerali.in, samdarshi.singh@futuregenerali.in)
8. एक्सक्यूटिव डायरेक्टर,– सी.ई.ओ., रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स सेन्टर, 19 वालचन्द हीराचन्द मार्ग, बलार्ड स्टेट मुम्बई। (email: vivek.dhruga@relianceada.com, milan.maheshwari@relianceada.com)
9. मैनेजिंग डायरेक्टर एण्ड चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर,बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जीई प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवदा पूना–411006 फैक्स–20–6602667 (email: Aditya.Yadav@bajajallianz.co.in, subhasheesh.rawat@bajajallianz.co.in)
10. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, यूनिवर्सल सोम्पू जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनिट नम्बर 401, चतुर्थ तल, संगम कॉम्पलैक्स,127 अन्धेरी कुरला रोड़, अन्धेरी ईष्ट मुम्बई–400059 (email: prashant.pandey@universalsompo.com)
11. नेशनल मैनेजर–प्रोडक्ट डेवलेपमेन्ट एस.बी.आई.जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नटराज (101, 201–301) जंगशन ऑफ वैस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे एण्ड अन्धेरी कुरला रोड़, अन्धेरी ईष्ट मुम्बई–400069 (email: nazia.sheikh@sbigeneral.in, suresh.bishnoi@sbigeneral.in)
12. मैनेजर डायरेक्टर, श्रीराम जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, ई–8, ई. पी . आई. पी., आर .आई, आई. सी. ओ. इन्डसट्रियल एरिया, सीतापुर, जयपुर, राजस्थान–302022 (email: sgi.jaipur@shriramgi.com, nitin.g@shriramgi.in)
13. सी.एम.डी., यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, 24, वाईटस रोड़, चेन्नई–6000114 (email: cmdsect@uiic.co.in, lnarayana@uiic.co.in)
14. सी.एम.डी., नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकत्ता–700071 (email: cmd@nic.co.in, renuka.tolia@nic.co.in)
15. सी.एम.डी., ओरियन्टल इंश्योरेंन्स कम्पनी लिमिटेड, ओरियन्टल हाउस, पोस्ट बाक्स न. 7037, ए–25/27, आसिफ अली रोड़, नई दिल्ली–110002 (email: ammie.joseph@orientalinsurance.co.in, sharma.sandeep@orientalinsurance.co.in, arunaanand@orientalinsurance.co.in)
16. सी.एम.डी., न्यू इण्डिया अश्योरेंन्स कम्पनी लिमिटेड, 87, एम.जी.रोड़ फोर्ट मुम्बई–400001 (email: cmd.nia@newindia.co.in, kushaj.raj@newindia.co.in)
17. सी.एम.डी., रायल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. विश्रान्थी मेलाराम टावर नम्बर 2/319, राजीव गांधी सेलाई (ओएमआर), करापक्कम चेन्नई–600097। (email: amit.sharma@royalsundaram.in, akhileshkumar.singh@royalsundaram.in, rakesh.ranjan@royalsundaram.in)
18. मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, भारती एएक्सए (AXA) जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि., प्रथम तल, हास्टो सेन्टर, न. 43, मिलर्स रोड़, बसन्त नगर, बैंगलौर–560052। (email: shubham.patiyal@bhartiaxa.com)

विषयः पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Re-structured-Weather Based Crop Insurance Scheme) को मौसम खरीफ–2020 एवं रबी 2020–21 से 03 वर्षों हेतु जनपद उधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, पौडी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में निश्चित औद्यानिक फसलों पर लागू करने के संबन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 10.02.2020 को राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 290/XVI-1/20/09(39)/2003 दिनांक 08.04.2020 में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Re-structured-Weather Based Crop Insurance Scheme) मौसम खरीफ–2020, 2021 व 2022 एवं रबी 2020–21, 2021–22 व 2022–23 में कियान्वित की जानी है। इस कम में संबंधित जनपदों तथा संबंधित फसलों के लिये सीलबन्द लिफाफे में निर्धारित प्रारूप में सीमित निविदा आमन्त्रित किये जाते हैं।

क्रमशः .....2......

सीमित निविदा दिनांक 01.05.2020 को सांय 04:00 बजे तक कार्यालय अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान सर्किट देहरादून में पी0डी0एफ0 फाईल मय प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी (Protective Security with pdf) के साथ ई–मेल (osd.horticulture@gmail.com) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

सीमित निविदा प्राप्ति के पश्चात दिनांक 02.05.2020 को निविदादाता बीमा कम्पनियों को पृथक से पत्र ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दिनांक 04.05.2020 को अपरान्ह (12:00 बजे) विभागीय गठित समिति द्वारा सीमित निविदा खोले जाने से पूर्व प्रातः 11:00 से 11:30 के मध्य प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी (Protective Security with pdf) का पासवर्ड ई–मेल (osd.horticulture@gmail.com)/**मोबाईल नं0 9675374140 के वाट्सऍप पर उपलब्ध कराना होगा। निविदादाता बीमा कम्पनी द्वारा निश्चित अवधि तक पासवर्ड प्राप्त न कराये जाने की दशा में सम्बन्धित बीमा कम्पनी की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।**

निविदा खोले जाने के समय यदि बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहे तो वह भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रतिभाग कर सकते हैं। निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है–

1. प्रत्येक बीमा कम्पनी को प्रत्येक फसल तथा प्रत्येक जनपद हेतु सीमित निविदा/प्रीमियम दर निर्धारित प्रारूप पर 03 वर्षों हेतु देने होगें। यदि प्रतिभागी किसी भी कम्पनी द्वारा फसलवार/जिलेवार किसी भी संबन्धित जिले/फसल के संबन्ध में प्रीमियम दर प्रस्तुत नही की जाती है तो सीमित निविदा निरस्त माना जायेगा।
2. बीमा कम्पनियों को कलस्टर (कलस्टर–1, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, कलस्टर–2, नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंहनगर, कलस्टर–3, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, कलस्टर–4, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी) के आवंटन हेतु विभाग द्वारा निश्चित जिलेवार/फसलवार टर्मशीट में दिये गये प्रीमियम दर के अनुसार योजना के प्राविधान के क्रम में कलस्टरवार भारीत औसत (L1) के आधार पर कलस्टर का आवंटन किया जायेगा।
3. उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में बीमा कम्पनी के कार्यालय का पूरा पता, नोडल अधिकारी का नाम, सम्पर्क, ई–मेल, कोटेशन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार पत्र कोटेशन सीट के साथ संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता बीमा कम्पनी किसी भी राज्य में ब्लैकलिस्टेड नही है, का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. बीमा कम्पनी को आई0आर0डी0ए0आई0 में पंजीकरण/नवीनीकरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. विभाग एवं चयनित बीमा कम्पनी के मध्य अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष होगी।
7. पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संसूचित फसलें, संसूचित इकाई क्षेत्र, फसलवार बीमित राशि का विवरण संलग्नक–B में दी गई है।
8. संसूचित क्षेत्रवार स्वचालित संदर्भित मौसम केन्द्रों का विवरण संलग्नक–C में प्रदान किया गया है।
9. संसूचित क्षेत्रवार तथा फसलवार मौसम खरीफ 2019 एवं रबी 2018–19 की कवरेज का विवरण संलग्नक–E में दी गई है।
10. भारत सरकार के नये दिशा–निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सिंचित/असिंचित जनपदों को संलग्न–Annexure-F को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम दरें उपलब्ध करायी जानी है।
11. भारत सरकार के नये दिशा–निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ऋणी/अऋणी कृषकों को स्वैच्छिक की गयी है।
12. राज्य सम्बन्धित मौसम के प्रारम्भ से पहले अधिसूचित सूची से फसलों को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो कुल बीमित फसल क्षेत्रफल/संसूचित क्षेत्र की कुल संख्या का 10% से कम होगा।
13. विभाग द्वारा फसलवार एवं जिलेवार प्रेषित टर्मशीट के फाइनेंसियल बिड टेबल में वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में दशमलव के दो अंकों तक) अंकित करना होगा। विभाग द्वारा प्रेषित एवं हस्ताक्षरित टैण्डर डाक्यूमैन्ट में प्रीमियम दर संलग्न Annexure-J पर एवं टर्म शीट पर अंकित करनी होगी। **किसी अन्य शीट पर अंकित प्रीमियम दर मान्य नहीं होगी।**

क्रमशः– ......3.....

14. बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत समस्त डाक्यूमैन्ट पर बीमा कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर होनी अनिवार्य है।

15. बीमा कम्पनी द्वारा समस्त सीमित निविदा डाक्यूमैन्ट बीमा कम्पनी के अधिकारिक ईमेल आईडी से ही प्रेषित किये जाने पर ही मान्य होगा।

16. योजना का क्रियान्वयन/प्रचार–प्रसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

17. बीमा कंपनी द्वारा टर्मशीट के अनुसार निश्चित मौसम केन्द्र निर्धारित स्थान तथा निर्धारित संख्या में स्थापित/व्यवस्थित करने होगें, जिस पर होने वाला व्ययभार सम्बन्धित चयनित बीमा कम्पनी को स्वयं वहन करना होगा।

18. सीमित निविदा आमंत्रण हेतु सीमित निविदा डाक्यूमैन्ट ईमपैनल्ड कम्पनियों को ई–मेल द्वारा भेजा जा रहा हैं, जिसे विभागीय बैवसाईट http://shm.uk.gov.in से भी Tenders section से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर ई–मेल से सीमित निविदा डाक्यूमैन्ट प्राप्त नही होते है तो कार्यालय अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून से किसी भी कार्य–अवधि में प्राप्त किया जा सकता है या मोबाईल नं0 9675374140 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

19. चयनित बीमा कम्पनी को अधिसूचना के पश्चात दस दिन के भीतर चयनित कलस्टर के प्रत्येक जनपद में अपना प्रतिनिधि नामित कर नाम, पता फोन न0 की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में भारत सरकार/राज्य सरकार के मार्ग–निर्देशों के अनुसार निदेशक, उद्यान को कार्यवाही करने/निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. सीमित निविदा की टर्म शीट एवं Annexures संलग्न हैं।

संलग्नक–यथोपरि। 1- पत्र+टर्मशीट - कुल 168 पेज
2- प्रारूप टैण्डर डाक्यूमेन्ट के Annexures - कुल 92 पेज

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
निदेशक